भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1790

मंगलवार, 10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान

1790. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेशः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की घोषणा के बाद से अब तक इसके अंतर्गत एकीकृत और निगरानीकृत अवसंरचना परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त परियोजनाओं का मंत्रालय/विभागवार और राज्यवार ब्यौरा और परियोजना के नाम, कार्यान्वयन एजेंसी, स्वीकृत लागत और वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान संबंधित मंत्रालयों द्वारा इन परियोजनाओं के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि कितनी है;

(घ) क्या किसी परियोजना में देरी या लागत में वृद्धि हुई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत प्रभावी अंतर-मंत्रालयी समन्वय और निधि के समय पर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लागू निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान (पीएमजीएस एनएमपी) की शुरुआत, देश में अवसंरचना की योजना बनाने और विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के रूप में अक्तूबर 2021 में की गई थी। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान (पीएमजीएस-एनएमपी) फ्रेमवर्क के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी), एकीकृत योजना, मल्टीमोडैलिटी, इंटर-मोडैलिटी, प्रयासों के समन्वय, अंतिम मील कनेक्टिविटी, परियोजना

क्षेत्र में और उसके आसपास व्यापक विकास, डाटा-आधारित निर्णय लेना आदि सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, एनपीजी तंत्र के माध्यम से 16.10 लाख करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली 352 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। इन 352 परियोजनाओं में से 201 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिनमें से 167 परियोजनाएं कार्यान्वनाधीन हैं। इनका मंत्रालय-वार ब्यौरा **अनुबंध-क** में दिया गया है।

(ग): वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने "2022-23 हेतु पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता स्कीम" के भाग-II (पीएम गति शक्ति संबंधित व्यय के लिए) के माध्यम से, अवसंरचना के विकास हेतु, राज्यों के मध्य, 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में, 5000 करोड़ रुपए संवितरण करने का प्रावधान किया है। “पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता स्कीम” के भाग-II के अंतर्गत अनुमोदित राज्यों की परियोजनाओं और आबंटित निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-ख में** दिया गया है।

(घ) और (ङ) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क के तहत, नियोजित और मूल्यांकित अवसंरचना परियोजनाओं सहित केंद्रीय क्षेत्र की उन चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग की जाती है, जिनकी लागत 150 करोड़ रुपए और उससे अधिक है। जुलाई 2025 के बाद से, पैमाना (प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनीटरिंग एंड एनेलिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग) पोर्टल (यानी https://ipm.mospi.gov.in/ReportPage) पर स्थिति, लागत वृद्धि आदि को दर्शाने वाली एक विस्तृत फ्लैश रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है।

इसके अलावा, परियोजनाओं की माइलस्टोन-आधारित मॉनीटरिंग करने के उद्देश्य से एक संस्थागत तंत्र, अर्थात परियोजना मॉनीटरिंग समूह (पीएमजी) की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य विशाल अवसंरचना परियोजनाओं (500 करोड़ रुपए और उससे अधिक की अनुमानित लागत वाली) के

निष्पादन में तेजी लाना है। पीएमजी ने एक अनूठा 5-स्तरीय एस्केलेशन फ्रेमवर्क लागू किया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि मामलों का समाधान, उचित स्तर पर किया जाए, जिसके अंतर्गत सामान्य मामलों की शुरुआत संबंधित मंत्रालय से की जाए और जटिल मामलों के लिए प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) फोरम तक जाया जा सकता है। यह दृष्टिकोण समीक्षा तंत्र को सुव्यवस्थित करता है, दोहराव को रोकता है और उच्च अधिकारियों को महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। बाधाओं को दूर करने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए, पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान को पीएमजी के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली विनियामक बाधाओं और मामलों के समाधान में तेजी आई है।

*****

अनुबंध-क

दिनांक 10.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1790 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क के तहत एनपीजी तंत्र के माध्यम से मूल्यांकित परियोजनाओं का मंत्रालय-वार विवरण

मंत्रालय/विभाग	एनपीजी द्वारा मूल्यांकित परि-योजनाओं की संख्या	स्वीकृत	स्वीकृति शेष	कार्यान्वयन के तहत	कुल अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)
संड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	164	87	77	55	8,61,821
रेल मंत्रालय	137	83	54	83	4,22,324.84
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय	23	7	16	7	2,01,264
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	4	4	0	3	9,271
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	3	2	1	1	49,758.86
नागर विमानन मंत्रालय	5	3	2	3	7,871
एन आई सी डी सी, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	12	12	0	12	28,693
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	01	1	0	1	20,773.70
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	01	0	1	0	4,680
वस्त्र मंत्रालय	02	02	0	2	3,957
कुलयोग	**352**	**201**	**151**	**167**	**16,10,414**

दिनांक 10.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1790 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2022-23 के लिए पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता स्कीम हेतु स्कीम के भाग-II के तहत राज्य-वार निधि का आबंटन।

क्रम सं.	**राज्य**	**व्यय विभाग (डीओई) द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या**	**स्वीकृत पूंजीगत व्यय (करोड़ रुपए में)**
1	पश्चिम बंगाल	30	376
2	छत्तीसगढ़	27	168.42
3	बिहार	21	502.92
4	उत्तर प्रदेश	15	896.91
5	मध्य प्रदेश	11	393
6	महाराष्ट्र	8	316
7	तमिलनाडु	8	204
8	राजस्थान	7	301
9	असम	6	156
10	नागालैंड	5	28.43
11	केरल	4	96
12	त्रिपुरा	4	35
13	गुजरात	3	174
14	हरियाणा	3	55
15	झारखंड	3	165
16	मणिपुर	3	36
17	हिमाचल प्रदेश	3	42
18	अरुणाचल प्रदेश	3	87.85
19	आंध्र प्रदेश	2	202
20	कर्नाटक	2	182
21	मेघालय	2	38
22	मिजोरम	2	25
23	उत्तराखंड	2	56
24	गोवा	1	19
25	पंजाब	1	90
26	सिक्किम	1	19
27	तेलंगाना	1	100
28	ओडिशा	0	0
	कुल	**178**	**4764.53**

स्रोतः 2022-23 के लिए पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता हेतु योजना के भाग-II के तहत परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए व्यय विभाग का कार्यालय ज्ञापन।

****